



**कार्यालय वनमंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)**

E-Mail :- khairagarhdf@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.1-5/ 1000
प्रति,

खैरागढ़, दिनांक 17/03/2021

कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
द.पू.म. रेलवे गौरी नगर रेलवे क्रासिंग
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion Land for To construct 3rd Railway line from Paniajob to Bortalao approximate 8 km, it covers Rajnandgaon district to be used for freight and passenger services. Proposed alignment of 3rd line is a detour alignment, area - 20.954 ha. - regarding. (पंजीयन क्रमांक- FP/CG/RAIL/48681/2020)**

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 853 दिनांक 08.03.2021

-000-

अवगत हो कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय सिविल लाईन नागपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति के तारतम्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र दिनांक 06.03.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन 05 प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु आपको लेख किया गया था।

विदित हो कि प्रकरण में प्रभावित हुई वन/राजस्व वनभूमि 20.954 हे. के विरुद्ध दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के अधिन संरक्षित वनकक्ष क्रमांक पी-465 की दोगुने बिगड़े वनभूमि 41.908 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति अधिरोपित शर्त कंडिका (iii) एवं (iv) के पालन हेतु लेख किया गया था कि कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड़ नई दिल्ली के कैम्पा खाता में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने हेतु ई-पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से जमा करते हुए मूल चालान की प्रति चाही गई थी। इस बाबत राशि का भी उल्लेख किया गया था। अतः उपरोक्त अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संशोधित मांगपत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

जमा की जाने वाली राशि का मद का नाम	प्रस्तावित भूमि (हे. में)	दर (प्रति हे.)	राशि
क्षतिपूर्ति वनीकरण	41.908	726270	30436523 / -
प्रत्याशा मूल्य	20.954	803000	16826062 / -

अतः उपरोक्तानुसार दर्शित राशि ई-चालान के माध्यम से जमा करते हुए पालन प्रतिवेदन के साथ मूल चालान की प्रति प्रस्तुत करे।


वनमंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़